# <u>कार्यालय जनपद न्यायाधीश, हापुड</u>

पत्रांक 01/2016 /नजारत, जनपद न्यायालय हापुड़ दिनांक 01 जुलाई 2016

<u>निविदा/टेण्डर</u>

जनपद न्यायालय हापुड़ में न्यायालयों, कार्यालयों एवं जिला न्यायाधीश हापुड़ के आवासीय कार्यालय में प्रयोग हेतु फर्नीचर कय किया जाना है जिनमें 5 सेट सोफा (7 सीटर), 2 सोफा (5 सीटर), 7 सेन्टर टेबल, 20 चेयर मीटिंग हाल हेतु, 1 आफिस टेबल, 1 आफिस चेयर, 50 आगन्तुक चेयर,, 1 मोबाइल पेडेस्टल, 1 बैक यूनिट, 1 इम्प्रस टेबल, 1 इम्प्रेस बैक कार्नर यूनिट, 1 एक्जीक्यूटिव चेयर, 2 कार्नर टेबल, 3 हाई बैक आफिस चेयर।

उपरोक्त वर्णित वस्तुओ की आपूर्ति हेतु निविदा/टेण्डर के द्वारा पंजीकृत फर्मो द्वारा दिनांक 25.07.2016 की अपराह्न 12 बजे तक सील बन्द लिफाफे में आमत्रिंत किये जाते है। उपरोक्त वर्णित वस्तुओं की विशिष्टियां, निविदा हेतु निर्धारित फार्म, निविदा की शर्ते किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 05:00 बजे तक जनपद न्यायालय हापुड़ के नजारत कार्यालय से 100 रू0 अदा कर के प्राप्त किये जा सकते है। निविदा फार्म के साथ जनपद न्यायाधीश, हापुड़ के पक्ष में देय 10000 रू0 का बैंक ड्राफ्ट/चैक दिनांक 25.07.2016 की अपराह्न तक निविदा/टेण्डर के साथ जमा करना होगा। निर्धारित फार्म के अतिरिक्त अन्य प्रारूप पर निविदाए स्वीकार नहीं की जायेगी। उक्त निविदाएं दिनांक 25.07.2016 की सायं 04:00 बजे कय समिति के समक्ष खोली जायेंगी। निविदाएं खोले जाने के समय फर्मो के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

दिनांक–01.07.2016

अध्यक्ष कय समिति,
अपर जिला जज त्वरित न्यायालय
हापुड़।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु:–</u>

1– नोटिस बोर्ड नजपद न्यायाधीश हापुड़।

2– नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी हापुड़।

3– समस्त उपजिलाधिकारी जनपद हापुड़।

4– तहसीलदार सदर जनपद हापुड़।

5– नोटिस बोर्ड हापुड़ विकास प्राधिकरण।

6– समचार पत्र में निःशुक्ल प्रकाशन हेतु जिला सूचना अधिकारी हापुड़।

7– कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।

## जिला न्यायालय हापुड में फर्नीचर कय किये जाने हेतु आमंत्रित निविदा की शर्ते एवं प्रतिबंध–

1. निविदा देने वाली फर्म का व्यापार कर कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

2. निविदा में आपूर्ति किये जाने वाले सामान की निर्माता कम्पनी मॉडल नं0 आदि का विवरण अंकित करना अनिवार्य है।

3. प्रत्येक निविदा के साथ अंकन 10,000/–रू0 का बैंक ड्राफ्ट/चेक जनपद न्यायाधीश, हापुड़ के पक्ष में धरोहर धनराशि के रूप में संलग्न करना होगा।

4. भुगतान सामान की आपूर्ति किये जाने के पश्चात ही किया जा सकेगा। भुगतान के विलम्ब में किसी प्रकार का ब्याज आदि का दावा स्वीकार नहीं होगा।

5. बिना धरोहर धनराशि के निविदाएं स्वीकार नही की जायेगी तथा फर्मो की कोई शर्त बाध्यकारी नही होगी।

6. निविदा की देय में सभी प्रकार के टैक्स सम्मिलित होने चाहिए बाद में किसी प्रकार का टैक्स एवं माल की मूल्य वृद्धि मान्य नही होगी।

7. निविदा दाताओं द्वारा ट्रेड टैक्स एवं वैट इन्कमटैक्स विभाग द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण–पत्र भी देना अनिवार्य है।

8. यदि आपूर्ति की गयी वस्तुओं में कोई मैन्युफेक्चरिंग त्रुटि या अन्य किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो उसे आपूर्ति कर्ता द्वारा वापस लेकर पुनः सही वस्तु की आपूर्ति अपने व्यय पर करनी होगी। ऐसी दशा में पुनः आपूर्ति के उपरान्त भुगतान किया जायेगा।

9. गुणवत्ता एवं आपूर्ति के पश्चात सेवाओं को प्रदान करने को तत्परता दिखाने वाली फर्मो की प्राथमिकता दी जायेगी।

10. निविदा कर्ताओं में से जो भी निविदा कर्ता उपरोक्त शर्तो में से किसी एक भी शर्त को पूर्ण नहीं करेगा, उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जनपद न्यायाधीश, हापुड़) को अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं।

अध्यक्ष कय समिति/

अपर जिला न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय

हापुड़।